प्रेषक,

फूल चन्द्र कुशवाहा,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय,
लखनऊ।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक,
माननीय इलाहाबाद, उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

विषयः वार्षिक स्थानान्तरण वर्ष 2023 से मुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी की नियुक्ति उच्चतर न्यायिक सेवा 2018 (III) के तहत जनपद लखनऊ में दिनांक–19.03.2020 को हुई थी। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत ही कोविड–19 के तहत लॉकडाउन प्रारम्भ हो गया था। प्रार्थी व उसका परिवार भी उक्त कोविड के दौरान समस्याओ से ग्रस्त था। प्रार्थी की पत्नी कानपुर नगर में ब्रह्मानंद पी0जी0 कॉलेज में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर कार्यरत थी। प्रार्थी की नियुक्ति जनपद लखनऊ में होने के उपरांत उसने अपनी पत्नी का स्थानान्तरण जुलाई 2021 में लखनऊ स्थित श्री जय नरायण मिश्रा पी0जी0 कॉलेज (के0के0सी0) में कराया था। प्रार्थी की दो संताने क्रमशः 12 वर्ष व 8 वर्ष की हैं। लॉकडाउन व समयाभाव के कारण प्रार्थी अपने परिवार को लखनऊ में स्थापित नहीं कर पाया है। इसके अतिरिक्त माह अक्टूबर 2022 में प्रार्थी की मॉ के फर्श पर गिरने के कारण उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। जिसका बड़ा ऑपरेशन करा कर के0जी0एम0यू0 लखनऊ से इलाज कराया गया। प्रार्थी की मॉ की आयु लगभग 80 वर्ष की है तथा उपरोक्त समस्या होने से उन्हें चलने–फिरने में असुविधा होती है। उपरोक्त समस्या के कारण के0जी0एम0यू0 में समय–समय से उनके इलाज हेतु परामर्श करना पड़ता है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी की उपरोक्त समस्याओ को दृष्टिगत रखते हुए वार्षिक स्थानान्तरण वर्ष 2023 से प्रार्थी को मुक्त करने की कृपा करें।

माननीय महोदय से यह भी निवेदन है कि यदि स्थानान्तरण से मुक्त होना सम्भव न हो तो प्रार्थी को उन्नाव, कानपुर नगर या बाराबंकी में स्थानान्तरित करने या प्रतिनियुक्ति पर विधि अधिकारी उ0प्र0, मानवाधिकार अयोग, लखनऊ या विशेष सचिव एवं अतिरिक्त विधि परामर्शी (न्याय विभाग) उ0प्र0 सरकार लखनऊ में नियुक्त/स्थानान्तरित करने की कृपा करें।

प्रार्थी सदैव आभारी रहेगा।

सादर!

भवदीय,

23.12.2022

दिनांक 23.12.2022

(फूल चन्द्र कुशवाहा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय–द्वितीय,
लखनऊ।

संलग्नकः– मॉ के इलाज से सम्बन्धित पर्चे।